केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर
आयुक्त कार्यालय, कोचिन - 18
कोचिन/आयुक्तालय
2 - MAY 2016
Office of the commissioner of
Cochin - Commissionerate

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्य आयुक्त का कार्यालय, कोचिन क्षेत्र
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS AND SERVICE TAX, COCHIN ZONE

केन्द्रीय राजस्व भवन, C.R. BUILDING,आई एस प्रेस रोड,I.S. PRESS ROAD,
कोचिन COCHIN – 682 018. ई मेल /E-mail id: cccochin@.nic.in

सी.सं.C.No.VIII/48/24/2016 CCO (KZ) V दिनांक /Dated:25/04/2016

सार्वजनिक सूचना सं./PUBLIC NOTICE No. 2/2016

विषय : भारतीय मुद्रा नोट का मामला - विदेशगामी जहाज़ - अनुदेश - सं ।

Sub: Issue of Indian Currency Note – Foreign going vessels instructions - Reg.

****

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड परिपत्र सं. 51 / 1999 कस दिनांक 12.08.1999 देखें, जिसमें विदेशगामी जहाज आदि में, 100 रुपए तक के मूल्य का भारतीय मुद्रा नोट, विदेशगामी जहाज आदि के चालक दल को मजदूरी के भुगतान हेतु, ले जाने की अनुमति दी गई थी ।

Reference is invited to CBEC Circular No.51/1999 Cus dated 12.8.1999 wherein it was permitted to carry Indian Currency Notes of denomination up to Rs.100/- for disbursement of wages to the crew of the foreign going ships etc.

इस संबंध में भारतीय मुद्रा नोट पर अनुदेश संबन्धित केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड परिपत्र सं.7/2016 दिनांक 7.3.2016 की ओर सभी हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । जैसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों द्वारा भारतीय मुद्रा का, जो एक भारतीय यात्री या विदेशगामी जहाज के कप्तान अपने साथ रख सकता है, मूल्य पर कोई भी प्रतिबंध निर्धारित नहीं किया गया है, अब यह निर्णय लिया गया है कि पहले परिपत्र सं.51 / 1999 दिनांक 12.08.1999 के द्वारा भारतीय मुद्रा का मूल्य पर लगाया गया प्रतिबंध को वापस लिया जाएं ।

In this connection attention of all stake holders is invited to CBEC Circular No 7/2016 - Cus. dated 7.3.2016 regarding instruction on Indian currency notes. As the revised guidelines issued by the Reserve Bank of India has not prescribed any restriction on the denomination of Indian currency that can be carried by an Indian traveler or Captain of a foreign going Ship, it has now been decided to withdraw the restriction on denomination of Indian currency imposed vide earlier Circular No.51/1999 dated 12/8/1999.

ह / Sd/-
[एम.विनोद कुमार /M.VINOD KUMAR]
मुख्य आयुक्त CHIEF COMMISSIONER
कोचिन क्षेत्र COCHIN ZONE

//अनुप्रमाणित Attested//

[सुजा के.के./SUJA K.K.]
संयुक्त आयुक्त /JOINT COMMISSIONER(CCO)
सेवा में /To,

1. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, कोचिन -9
   The Commissioner of Customs, Customs House, Cochin-9
2. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचिन
   The Commissioner of Customs & Central Excise, Cochin

Contd. 2/-

3. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम
The Commissioner of Customs &Central Excise, Thiruvananthapuram

4. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, केलिकट
The Commissioner of Customs & Central Excise, Calicut.

प्रतिलिपि /Copy to:

1. यातायात प्रबंधक, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन-9।
The Traffic Manager, Cochin Port Trust, Cochin-9.
2. पोर्ट अधिकारी, कोल्लम
The Port Officer, Kollam
3. अध्यक्ष, कोचिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन, कोचिन-3 ।
The President, Cochin Steamer Agents Association, Cochin-3.
4. कोचिन सीमा शुल्क दलाल एसोसिएशन, वेल्लिङ्ग्डन द्वीप, कोचीन-9 ।
The Cochin Customs Brokers Association, W/Island, Cochin-9.
5. सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, ई.डी.आई., सीमा शुल्क गृह, कोचिन-9- वैबसाइट में अपलोड करने हेतु/The Assistant Commissioner of Customs, EDI, Custom House, Cochin-9 – for uploading to the website.
6. सूचना पट्ट /Notice Board
7. अधीक्षक, ई डी पी कक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन आयुक्तालय.. वैबसाइट में अपलोड करने हेतु / Supdt.,EDP Cell, Central Excise, Cochin Commissionerate for uploading in the website.